कार्यालय-उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक–उ.वि.शि.प./सन्निरीक्षा/ 03(06) /2026–27 दिनांक 25 अप्रैल 2026

विज्ञप्ति/सूचना

1. सन्निरीक्षा हेतु

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष–2026 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को अवगत कराया जाता है कि परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त यदि कोई परीक्षार्थी अपने किसी भी विषय/प्रश्न–पत्र की उत्तरपुस्तिका की सन्निरीक्षा कराना चाहते हैं तो वे सन्निरीक्षा शुल्क ₹100=00 प्रति प्रश्नपत्र की दर से कोष–पत्र (ई–चालान) के माध्यम से उत्तराखण्ड के किसी भी राजकोष/भारतीय स्टेट बैंक में सुसंगत लेखाशीर्षक (0202–शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 01–सामान्य शिक्षा, 102–माध्यमिक शिक्षा, 02–बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क) के खाते में जमा कर कोष–पत्र (ई चालान) की मूल प्रति अपलोड कर अपना आनलाइन सन्निरीक्षा आवेदन परिषद् की वेबसाइट पर कर सकते हैं। सन्निरीक्षा आनलाइन आवेदन परीक्षाफल परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आनलाइन सन्निरीक्षा आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। सन्निरीक्षा के आनलाइन आवेदन परिषद् कार्यालय की वेबसाइट (www.ubse.uk.gov.in) पर Board Examination टैब के अन्तर्गत **"सन्निरीक्षा/छायाप्रति हेतु आवेदन"** लिंक पर जाकर किये जा सकते हैं।

2. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति हेतु

जिन परीक्षार्थियों को अपनी वर्ष–2026 की परीक्षा की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करनी हो, वे निर्धारित शुल्क ₹400=00 (₹ चार सौ) प्रति प्रश्नपत्र की दर से उपरोक्तानुसार सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर कोष–पत्र (ई–चालान) की मूल प्रति अपलोड कर अपना आनलाइन आवेदन परिषद् की वेबसाइट पर मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु कर सकते हैं। सन्निरीक्षा से सम्बन्धित दिशा–निर्देश परिषद् की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

शुल्क की धनराशि सही लेखा शीर्षक में जमा न होने पर आनलाइन आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

25/4/2026

(विनोद प्रसाद सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

पृ.सं.–उ.वि.शि.प./सन्निरीक्षा/ /2026–27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड /सभापति, उ.वि.शि.प., रामनगर को सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त संस्थाध्यक्ष द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
5. प्रभारी सूचना सम्प्रेषण अनुभाग उ.वि.शि.प.रामनगर (नैनीताल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, उत्तर उजाला, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र (कुमाऊँ/गढ़वाल संस्करण) में 10X12 से.मी. आकार में निर्धारित शासकीय दरों पर प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में तथा समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(विनोद प्रसाद सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)